डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

कार्यालय : 265228, 264236
फेक्स : 07582–264236
E mail - registrardhsgu@rediffmail.com
www.dhsgsu.ac.in

कुलसचिव

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर 470003(म.प्र.)

क्रमांकः डीसीडीसी / 2020 / 2804

11/12 मई 2020

प्रति,

अति–आवश्यक

प्राचार्य,
समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विषयःसत्र 2020–21 में विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित पाठ्यक्रमों को छोडकर)विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होने वाली प्रवेश परीक्षा के तहत प्रवेश देने बावत ।

——000——

1. उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक डीसीडीसी / 2020 / 2802 दिनांक 05 अप्रेल 2020 एवं स्मरण पत्र क्रमांक डीसीडीसी / 2020 / 2803 दिनांक 23 अप्रेल 2020 के माध्यम से अपेक्षित जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। इस बीच में संबद्ध 23 महाविद्यालयों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने हेतु इस विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग गया था तथा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यहां से जारी किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में इन महाविद्यालयों द्वारा अन्य विश्वविद्यालय से संबद्वता की जानकारी यहां नहीं भेजी गई है । सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु इन महाविद्यालयों ने अभी तक अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता की स्थिति स्पष्ट नहीं की है उनसे निवेदन किया जाता है कि अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की स्थिति स्पष्ट करें ।

2. इसके साथ–साथ जिन संबद्ध महाविद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है उनको भी निर्देशित किया जाता है सभी महाविद्यालयों में परिनियम क. 28 के तहत नियुक्त शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करें। यदि वर्तमान में कार्यरत शिक्षक परिनियम क. 28 के तहत नियुक्त नहीं है तो इस आशय का शपथ–पत्र दे कि तीन माह के भीतर यह नियुक्तियां करा ली जावेगी। क्योंकि लॉक–डाउन के कारण महाविद्यालयों का संबद्धता–निरन्तरता हेतु निरीक्षण नहीं हो पाया है। जिन महाविद्यालयों द्वारा यह जानकारी सात दिवस के भीतर नियुक्ति संबंधित जानकारी शपथ पत्र में प्राप्त नहीं होती है उन्हें सत्र 2020–21 की प्रवेश प्रकिया से वंचित रखा जा सकता है । जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।

3. अतः विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी सात दिवस के भीतर इस कार्यालय के ई–मेल **dcdcsu@gmail.com** पर उपलब्ध करायें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

3. **प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल**–को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. **कुलपति के सचिव** – को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. **सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय** – को कुलसचिवजी के सूचनार्थ।

I/C निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद